<u>कार्यकारी आदेश 2022-02</u>
<u>राज्य के संयुक्त विश्लेषण केंद्र की स्थापना करना एवं अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा मुख्य संसाधनों और प्रमुख संसाधनों का संरक्षण</u>

जबकि, स्थानीय, राज्य, संघीय अभिकरणों और निजी साझेदारों के बीच अति महत्वपूर्ण सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान मातृभूमि की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है; और,

जबकि, सायबर ख़तरे इलिनॉय के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत, पेशेवर, और वित्तीय जोख़िम उत्पन्न करते हैं और राज्य की सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था को ख़तरे में डालते हैं; और,

जबकि, अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और मुख्य संसाधन क्षेत्र जटिल प्रणालियों, जिनमें जनोपयोगी जीवनरेखाएं, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण, शिक्षा, शोध एवं सार्वजनिक सुरक्षा शामिल हैं, के प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करते हैं; और,

जबकि, अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और मुख्य संसाधनों का संरक्षण किसी भी एक संस्था या इकाई की पहुंच से बाहर होता है और इसे एक अग्रसक्रिय पद्धति की आवश्यकता होती है; और,

जबकि, अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और मुख्य संसाधनों के हितधारकों के प्राधिकारों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की विविधता के चलते एक ऐसी परस्पर-सहयोगी सार्वजनिक-निजी साझेदारी की आवश्यकता है जो एकजुट प्रयास को बढ़ावा दे; और,

जबकि, 2004 के आसूचना सुधार एवं आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (इंटेलिजेंस रिफ़ॉर्म एंड टेररिज़्म प्रिवेंशन एक्ट) में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका सभा (कांग्रेस) ने यह निदेश दिया था कि संघीय सरकार के भीतर, और संघीय, राज्य, स्थानीय, एवं निजी-क्षेत्र की संस्थाओं/इकाइयों के बीच, एक सूचना सहभाजन परिवेश (इन्फ़ॉर्मेशन शेयरिंग एन्वायरन्मेन्ट) की स्थापना की जाए जिससे मातृभूमि की सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं, आतंकवाद संबंधी सूचनाओं और आतंकवाद से संबंधित विधि प्रवर्तन सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान किया जा सके; और,

जबकि, 16 नवंबर, 2006 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने, राष्ट्रीय आसूचना निदेशक के कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ द डायरेक्टर ऑफ़ नेशनल इंटेलिजेंस) के माध्यम से, व्यवस्थापिका सभा (कांग्रेस) के समक्ष एक सूचना सहभाजन परिवेश (इन्फ़ॉर्मेशन शेयरिंग एन्वायरन्मेन्ट) की रचना करने की एक योजना प्रस्तुत की थी, जो आंशिक रूप से, राज्य एवं प्रमुख शहरी क्षेत्र संलयन केंद्रों के एक एकीकृत नेटवर्क की स्थापना की मांग करती है; और,

जबकि, इलिनॉय सैन्य कार्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ मिलिटरी अफ़ेयर्स), जो मातृभूमि सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्यॉरिटी) द्वारा प्रायोजित और राष्ट्रीय रक्षक ब्यूरो (नेशनल गार्ड ब्यूरो) द्वारा समर्थित है, एक ऐसे तंत्र के रूप में प्रचालन कर सकता है जिसके लिए राज्य के हितधारक अपनी साझेदारियों को आगे बढ़ा सकते हैं, समन्वित सूचना सहभाजन को सुगम बना सकते हैं और परस्पर-निर्भर

बुनियादी ढांचा संरक्षण के लिए नियोजन और तत्परता को सक्षम बना सकते हैं, और जिसके प्रयासों को अत्यंत महत्वपूर्ण संघीय मातृभूमि सुरक्षा प्रतिक्रिया रणनीति में एकीकृत किया जाएगा; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य के लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए आपदाओं, जिनमें प्रौद्योगिकीय कारणों से उत्पन्न आपदाएं शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, हेतु तैयारी करना और, यदि संभव हो तो, उनकी रोकथाम करना, इलिनॉय राज्य की नीति है; और,

जबकि, राज्य की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के संरक्षण हेतु; राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त और आवश्यक है कि वह सरकार, निजी-क्षेत्र, सेना, और शोध एवं अकादमिक हितधारकों को संलग्न करते हुए इलिनॉय की सायबरसुरक्षा में वर्धन करने का एक संयुक्त प्रयास स्थापित करे;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, इसके द्वारा निम्नवत आदेश देता हूं:

I. **इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र की स्थापना**

सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र (इलिनॉय जॉइंट एनालिसिस सेंटर, IL-JAC) स्थापित किया गया है। IL-JAC का गठन एवं प्रचालन राज्य एवं संघीय कानून द्वारा यथा उपबंधित के अनुसार किया जाएगा। 32 CFR उप-भाग A में संघीय सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अंतर्गत, IL-JAC को एक संवेदनशील, अनुभागों में विभक्त सूचना इकाई (सेन्सिटिव, कम्पार्टमेन्टलाइज़्ड इन्फ़ॉर्मेशन फ़ेसिलिटी, SCIF) में स्थित किया जाएगा, ताकि IL-JAC इलिनॉय राज्य से संबंधित वर्गीकृत ख़तरा सूचनाओं तक पहुंच सके और अपने नागरिकों के समक्ष मौजूद ख़तरों का पूर्वानुमान लगाने, उनकी रोकथाम करने, और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध सूचनाएं प्राप्त कर सके।

A. **इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र का ध्येय**

इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र का ध्येय समयबद्ध ढंग से और हमारे नागरिकों के निजता अधिकारों के साथ सुसंगत ढंग से, सायबर विश्लेषण और सूचनाएं एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और जनता एवं निजी हितधारकों के बीच उन्हें प्रसारित करने के लिए बनाया गया एक बहुविषयक, सूचना सहभाजन नेटवर्क प्रदान करके इलिनॉय के लोगों और संपत्ति का संरक्षण करना है।

B. **सैन्य मामलों के विभाग द्वारा इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र का प्रशासन**

एडजुटेंट जनरल, सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में और इसके कर्मचारियों द्वारा सहायता प्राप्त, IL-JAC के कामकाज की देखरेख करेंगे। सैन्य मामलों के विभाग को सामान्य उद्देश्यों के लिए विनियोजित धन का उपयोग IL-JAC के संचालन के लिए किया जा सकता है। एडजुटेंट जनरल, समय-समय पर, IL-JAC के कार्यों और संचालन के लिए सामान्य हित के मामलों पर इलिनॉय राज्य के होमलैंड सुरक्षा सलाहकार और इलिनॉय राज्य पुलिस के निदेशक से परामर्श करेंगे। यदि अनुरोध किया जाता है, तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी एजेंसियां IL-JAC को उचित सहायता प्रदान करेंगी।

II. **बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)**

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य अभिकरण की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी और उसका अर्थ किसी भी राज्य अभिकरण के पुनः समनुदेशन या पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

III. **पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश**

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त करता है। कार्यकारी आदेश 2020-49 निरस्त किया जाता है।

IV. **पृथक्करणीयता खंड**

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

V. **प्रभावी होने की तारीख**

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा 10 जनवरी, 2022 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 10 जनवरी, 2022 को दायर